न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :–137/2016/भीलवाड़ा (2016/00035)

1. रामपाल पुत्र नारायण, जाति तेली, निवासी ग्राम दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती प्रेमबाई पत्नि अमरा, जाति तेली, निवासी चीड़खेड़ा, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
2. ग्राम पंचायत दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा दिनांक 12.8.2016 प्रकरण संख्या 08/2016.

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पोडेंट्स अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः–22.12.2017

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 12.8.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि किता 10 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 553 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 1816 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा का मूल खातेदार नारायण था । नारायण के वारिसान में सीताराम, रामपाल पुत्र एवं मु0 रूपी बेवा नारायण हुए जिनमें सीताराम लाऔलाद फौत हो गया एवं नारायण की बेवा रूपी का देहांत हो गया तथा सीताराम के जीवनकाल में ही उसकी पत्नि रेस्पो0

प्रेमदेवी अन्यंत्र नाते चली गयी किन्तु सीताराम की विरासत का नामांतकरण संख्या 776 दिनांक 15.6.1993 को रेस्पो0 संख्या 1 के नाम ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत करने का आदेश प्रदान कर दिया । इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाने पर उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा ने आदेश दिनांक 16.6.2016 के द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 776 दिनांक 15.6.1993 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया जिससे व्यथित होकर रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 114 जा0दी0 एवं 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि बाबत्, पूर्व की स्थिति रखने के आदेश जारी किये जावे । अधी0न्याया0 के समक्ष तथाकथित नामांतकरण के संबंध में राजस्व वाद संख्या 139/2010 रामपाल बनाम प्रेमबाई भी विचाराधीन था जिसमें अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 16.6.2016 को ही वादपत्र सिद्ध नहीं होने से मेरिट पर खारिज किया गया है । अतः जब विवादित भूमि के संबंध में वाद ही मेरिट पर खारिज हो गया है तो नामांतकरण की अपील का कोई महत्व नही रह जाता है एवं नामांतकरण की अपील भी स्वतः ही खारिज हो जाती है । अतः न्यायहित में उक्त निर्णय में पुनरावलोकन कर नये सिरे से निर्णय पारित करे । अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/रेस्पो0 प्रेमबाई का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 114 जा0दी0 एवं 151 जा0दी0 निर्णय दिनांक 12.8.2016 स्वीकार कर स्वंय के निर्णय दिनांक 16.6.2016 को अपास्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोर्डेटस बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत ने अपीलांट को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये एवं बिना किसी जांच किये रेस्पो0 के हक में नामांतकरण संख्या 776 दिनांक 15.6.1993 को स्वीकृत करने में त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि का मूल खातेदार नारायण था जिसके वारिसान सीताराम, रामपाल पुत्रगण नारायण एवं मु0 रूपी बेवा नारायण थे, जिनमें से सीताराम नाओलाद फौत हो गया एवं खातेदार नारायण की बेवा रूपी का भी देहांत हो गया था तथा सीताराम पुत्र नारायण के जीवनकाल में ही उसकी पत्नि रेस्पो0 संख्या 1 प्रेमदेवी अमरा पुत्र रूपा तेली, निवासी चीड़खेड़ा के यहां नाते चली गई थी जिससे प्रेमदेवी सीताराम की पत्नि नहीं होने से उसका मृतक सीताराम की सम्पति में कोई हक व अधिकार शेष नहीं रह गया था । इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने बिना कब्जे की जांच किये रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में नामांतकरण संख्या 776 दिनांक 15.6.1993 को स्वीकृत किया जो प्रारंभ से अवैध एवं शून्य

था । अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रथम अपील में उपरोक्त तथ्य उठाये जाने पर अधी0न्याया0 ने अपीलांट की अपील निर्णय दिनांक 16.6.2016 को स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 776 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया था । अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 16.6.2016 में रिकार्ड पर ऐसी कोई त्रुटि नहीं थी जिससे पूर्व निर्णय का पुनरावलोकन किया जाकर उसे निरस्त किया जावे किन्तु अधी0न्याया0 ने क्षैत्राधिकार से परे जाकर अपने पूर्व निर्णय दिनांक 16.6.2016 को निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष नजरसानी प्रार्थना पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया था जो कानूनन संधारण योग्य नहीं था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में यह भी कथन किया कि राजस्व वाद के निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है जो विचाराधीन है । अधी0न्याया0 अपने निर्णय में बिना किसी ऐसी त्रुटि के स्वंय के निर्णय को अपास्त नहीं कर सकते थे । अधी0न्याया0 ने क्षैत्राधिकार से परे जाकर स्वंय के निर्णय दिनांक 16.6.2016 को अपास्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 12.8.2016 अपास्त किया जावे । अपने कथनों के समर्थन में विद्वान वकील अपीलांट ने डब्ल्यू0एल0सी0 हाईकोर्ट राज0 1999 पार्ट–1 पेज 384, आर0बी0जे0 2008 पेज 656, आर0आर0डी0 2008 पेज 41 एवं ए0आइ0आर0 1995 सुप्रीमकोर्ट पेज 453, आर0आर0टी0 2006 (2) पेज 1085 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । xx

4- विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 12.8. 2016 की सूचना प्रार्थी को उसके अधिवक्ता द्वारा नही दी गई । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.11.2016 को उस समय हुई जब रेस्पो0 ने विवादित भूमि पर आकर अपीलांट को धमकी देते हुए बताया कि प्रकरण का निस्तारण रेस्पो0 के पक्ष में हो चुका है । तत्पश्चात् अपीलांट ने दिनांक 22.1.2016 को न्याायलय में जाकर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी कर निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये आवेदन किया तथा प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना न्यायोचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होती है। मियाद के बिन्दू से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम

विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

6- प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीताराम की मृत्यु उपरांत ग्राम पंचायत दरीबा ने उसकी नातायत पत्नि श्रीमती प्रेमदेवी के नाम नामांतकरण संख्या 776 दिनांक 15.6.1993 को स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किये । नामांतकरण संख्या 776 आदेश दिनांक 15.6. 1993 के विरूद्ध सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रेक, भीलवाड़ा के न्यायालय में अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने पर सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रेक, भीलवाड़ा ने प्रकरण को लोक अदालत में दिनांक 16.6.2016 को आदेश पारित कर ग्राम पंचायत, दरीबा द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 776 आदेश दिनांक 15.6.1993 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि सभी पक्षकारों को सुनकर पुनः निर्णय पारित करे । तत्पश्चात् रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता श्री ललित स्वर्णकार ने उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 114, 151 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामांतकरण संख्या 776 दिनांक 15.6.1993 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया गया है किन्तु तथाकथित नामांतकरण के संबंध में व एक ही विषयवस्तु व आराजियात के संबंध में उपखण्ड अधिकारी न्यायालय द्वारा ही राजस्व वाद संख्या 139/2010 बउनवान रामपाल बनाम प्रेमबाई व अन्य विचाराधीन था जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 16.6.2016 को ही वादपत्र सिद्ध नहीं होने से वाद को मेरिट पर खारिज किया गया है । जब वाद प्रकरण मेरिट पर खारिज किया गया है तो नामांतकरण की अपील का कोई महत्व नहीं रह जाता है व अपील स्वतः ही खारिज हो जाती है । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 12.8.2016 द्वारा अपने द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 16.6.2016 को अपास्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 ने अपने पूर्व आदेश दिनांक 16.6.2016 को इस आधार पर खारिज किया है कि अपीलांट रामपाल द्वारा विवादित भूमि के संबंध में विचाराधीन वाद मेरिट पर खारिज हो चुका है इसलिये प्रस्तुत अपील स्वतः ही खारिज हो जाती है जबकि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपील लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत की गई थी जबकि वाद टिनेन्सी एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था इसलिये दोनों प्रकरणों को एक नहीं माना जा सकता है तथा ना ही यह तथ्य पुनरावलोकन के आधार पर तय हो सकते है क्योंकि रिव्यू का स्कोप बहुत ही सीमित है । अपीलांट अभिभाषक ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं था क्योंकि अधी0न्याया0 ने अपने रिव्यू आदेश में यह स्पष्ट नही किया है कि उनके द्वारा पूर्व निर्णय में किस प्रकार की लिपिकीय त्रुटि या गणीतीय त्रुटि

कारित की गई थी एवं इसके अभाव में अधी0न्याया0 में रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं था । यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा वाद में पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा चुकी है ।

7- अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपने पूर्व निर्णय दिनांक 16.6.2016 को रिव्यू आदेश दिनांक 12.8.2016 द्वारा अपास्त किया गया है। अधी0न्याया0 ने अपना रिव्यू आदेश इस आधार पर पारित किया है कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलांट का वाद अपास्त हो चुका है इसलिये नामांतकरण की अपील भी स्वतः ही अपास्त हो जाती है । इस संबंध में हमारी राय में दोनों प्रकरणों को एक नहीं माना जा सकता है तथा ना ही यह तथ्य पुनरावलोकन के आधार पर तय हो सकते है । रिव्यू का स्कोप बहुत ही सीमित है । अधी0न्याया0 के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं था तथा ना ही अधी0न्याया0 ने अपने रिव्यू आदेश में यह स्पष्ट किया कि उनके द्वारा अपने पूर्व निर्णय में किस प्रकार लिपिकीय या गणीतीय त्रुटि कारित की गई थी, जबकि न्यायालय रिव्यू आदेश में निर्णय में रही लिपिकीय एवं गणीतीय त्रुटि को ही दुरूस्त कर सकता है। न्यायालय को अपने पूर्व निर्णय में दिये गये विवेचन को जब तक कि लिपिकीय या गणीतीय त्रुटि से प्रभावित नहीं हो, अपास्त करने का अधिकार नहीं है । दौराने बहस अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि अपीलांट द्वारा वाद के निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा चुकी है जो विचाराधीन है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट रामपाल द्वारा अपर जिला न्यायाधीश संख्या–3, भीलवाड़ा के न्यायालय में वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । विद्वान अपर जिला न्यायाधीश संख्या–3, भीलवाड़ा ने उक्त प्रकरण संख्या 64/12में 9.11.2016 को निर्णय पारित कर अपीलांट रामपाल का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है । अधी0न्याया0 के समक्ष उक्तानुसार विवेचित समस्त तथ्य उपलब्ध होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने रिव्यू के प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसें विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 12.8.2016 अपास्त योग्य होकर प्रकरण तहसीलदार, भीलवाड़ा को प्रतिप्रेषित योग्य पाया जाता है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 137/2016 (2016/00035) बउनवानी रामपाल बनाम प्रेमबाई व अन्य को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 8/2016 बउनवान रामपाल बनाम प्रेमबाई में पारित निर्णय दिनांक 12.8.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, भीलवाड़ा को इन

निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित भूमि के संबंध में राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा एवं अपर जिला न्यायाधीश संख्या–3, भीलवाड़ा के न्यायालय में विचाराधीन अपील/वाद में होने वाले निर्णयों के अनुसार उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 22.12.2017 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर